दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:

प्लेक्स/सर्किल/1195 28/03/2025

प्रति

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

<u>विषय: भारत-न्यूजीलैंड एफटीए वार्ता के लिए उत्पत्ति के नियमों पर इनपुट के लिए अनुरोध।</u>

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि भारत-न्यूजीलैंड एफटीए वार्ता शुरू हो गई है। इस समझौते के तहत, दोनों देश टैरिफ रियायतों के लिए पात्र उत्पादों की एक श्रृंखला के बारे में चर्चा करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये रियायतें उन उत्पादों को लाभान्वित करती हैं जो दोनों देशों में पर्याप्त रूप से उत्पादित होते हैं, दोनों देशों के क्षेत्रों के भीतर उत्पादों के पर्याप्त परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम लागू हैं। इन्हें उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है।

उपर्युक्त के आलोक में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे उत्पत्ति के नियमों पर अपने इनपुट प्रदान करें और इस एफटीए के लिए 6-अंकीय एचएस कोड स्तर पर अपने उत्पादों के लिए उत्पाद विशिष्ट नियम (पीएसआर) सुझाएँ। कृपया अपने इनपुट 02.04.2025 को या उससे पहले bharti@plexconcil.org और anirudha@plexconcil.org पर भेजें।

इसके अतिरिक्त, आपको उत्पत्ति के नियमों से संबंधित पाठ्य प्रस्तावों पर इनपुट भी प्रदान करना होगा, जैसे कि "पूरी तरह से प्राप्त", "न्यूनतम", आदि।

प्लास्टिक उद्योग से संबंधित 6-अंकीय स्तर पर टैरिफ लाइन कोड (टीएल) युक्त एक्सेल शीट संलग्न फ़ाइल में हाइलाइट की गई है।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद